संख्या- 196 / 2019 / 590 /35-4-2019

प्रेषक,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांकः 07 मार्च, 2019

विषय- केन्द्रीय सेक्टर की योजना "एस0एस0एस0" के अन्तर्गत राज्य/जिला आय अनुमानों को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु आवश्यक अध्ययन किये जाने की स्वीकृति तथा अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 02/एस0एस0एस0-09/स्टडीज/2016 दिनांक-02.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा दिनांक-30.06.2018 को भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के मध्य संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 में राज्य/जिला आय अनुमानों को सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु आवश्यक निम्नलिखित 08 चिन्हित विषयों पर अध्ययन कराये जाने तथा अध्ययनो पर होने वाले कुल व्यय रू0 रू0 1,38,13,000/- (रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख तेरह हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 13.81 लाख (रू0 तेरह लाख इक्यासी हजार मात्र) की अग्रिम धनराशि सम्बन्धित संस्थानों को दिये जाने की अपेक्षा की गई हैः-

(धनराशि करोड़ रू. मे)

S.No. as per Anxx-1 of Rev. MoU	Themes/Items as mentioned in MoU	Agency/Institute	Expected expenditure (in crores)
1	2	3	4
3(f)	Study on interstate trade-to identify and estimate value of commodities being imported/exported to/from U.P.GIDS	**GIRI INSTITUTE of DEVELOPMENT STUDIES, Lucknow**	**0.1029**
3(g)	Preparation of Input-Output transaction tables for U.P.		**0.1976**
3(j)	Study to estimate rent of dwellings-Rural and Urban in U.P.		**0.1158**
3(l)	Compilation of estimates of Savings at State level	**CENTRE OF ADVANCED DEVELOPMENT RESEARCH, Lucknow**	**0.079**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3(n)	Study to assess the intra-household variations in consumption, educational and economic attainments in different categories of households.	**GIRI INSTITUTE of DEVELOPMENT STUDIES, Lucknow**	**0.25**
5(a)	Study to estimate the sub-state level estimates of socio economic indicators of U.P. by using small area techniques.		**0.1746**
8(i)	Study on the plywood/khair to know the percentage and value of the raw material, source through U.P. Forests.	**RAK MANAGEMENT & CONSULTANTS, Lucknow**	**0.3078**
8(k)	Benchmark survey for area and production estimation of Horticultural Crops.	**GIRI INSTITUTE of DEVELOPMENT STUDIES, Lucknow**	**0.1536**
	Total Cost of Proposed Studies		**1.3813**

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में एस0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-30/ 1092/637/35-4-2018 दिनांक 01.10.2018 द्वारा स्वीकृत रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) में से उपरोक्त अध्ययन कराये जाने हेतु अग्रिम के रूप में रू0- 13.81 लाख (रूपये तेरह लाख इक्यासी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल अनुमति प्रदान करते हैं -

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-15 नवम्बर, 2017 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक-25.10.1983 व अन्य संदर्भित शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) धनराशि अध्ययन कराने वाले संस्थानों को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(4) वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समयोजन कराते हुए लेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा नवनिर्मित प्रोक्योरमेंट मैनुअल, 2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.17 की व्यवस्था यदि प्रश्नगत प्रकरण में लागू होती है तो उक्त का ध्यान रखा जायेगा।

(6) वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- 289 /दस- 2018, दिनांक 05 मार्च, 2019 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 एन0 एस0 यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 196/2019 / 590(1)/ पैतीस-4-2019- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 9वां तल जीवन प्रकाश बिल्डिंग, 25 के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली-110001
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर-ओ, अलीगंज, लखनऊ।
10. सेन्ट्रर आफ एडवांन्सड डेवलपमेंट रिर्सच, लखनऊ द्वारा निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
11. आरएके मेनेजमेन्ट एण्ड कनसलटेन्ट, लखनऊ द्वारा निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।